**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 2029**

**उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025**

**महिला समृद्धि योजना**

**2029. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत आबंटित निधि के उपयोग की दर कितनी है और आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार और जिलावार इसका काफी कम उपयोग करने वाले जिलों का ब्यौरा क्या है तथा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में एमएसवाई के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त ऋण प्राप्त करने वाले स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) सहित महिला लाभार्थियों की राज्य/जिलावार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की उन महिला लाभार्थियों का राज्यवार प्रतिशत कितना है जिन्होंने एमएसवाई के अंतर्गत सफलतापूर्वक अपने उद्यम स्थापित किए हैं; और

(घ) एमएसवाई के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और ऋण संवितरण में आने वाली चुनौतियों अथवा विलंब का ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री बी.एल. वर्मा)**

**(क):** (i) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) वर्ष 2023-24 तक महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) कार्यान्वयन कर रहा था। वर्ष 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश सहित महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ii) चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.01.2025 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) द्वारा आंध्र प्रदेश सहित पूरे भारत में कार्यान्वित महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्य-वार उपयोग प्रतिशत **अनुबंध-II** में दिया गया है।

**(ख) और (ग):** (i) विगत 5 वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश में एनएसएफडीसी की एमएसवाई योजना के अंतर्गत कोई धनराशि नहीं ली गई थी और इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत कोई महिला लाभार्थी शामिल नहीं थी।

(ii) एमएसवाई योजना के तहत विगत 5 वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार कवरेज **अनुबंध-III** में दिया गया है।

एमएसवाई के संबंध में जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि यह योजना अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए लागू नहीं की गई है।

**(घ):** एनएसएफडीसी तथा एनएसएफडीसी की चैनलाइजिंग एजेंसियों ने एमएसवाई के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के संबंध में किसी विलंब की सूचना नहीं दी है।

"महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)" के संबंध में श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा द्वारा स्वीकृत संसदीय अतारांकित प्रश्न संख्या 2029 के **भाग (क) से संबंधित अनुबंध-I**

| क्र.सं. | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नाम | आवंटित/वितरित राशि (रु. लाख में) | उपयोग की गई राशि (रु. लाख में) |
|---|---|---|---|
| I. | राज्य | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2686.00 | 2686.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 |
| 3 | असम | 37.00 | 37.00 |
| 4 | बिहार | 27.00 | 27.00 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1415.00 | 1415.00 |
| 6 | गुजरात | 540.00 | 540.00 |
| 7 | गोवा | 159.00 | 159.00 |
| 8 | हरियाणा | 640.00 | 640.00 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 472.30 | 472.30 |
| 10 | झारखंड | 4.00 | 4.00 |
| 11 | कर्नाटक | 3439.00 | 3439.00 |
| 12 | केरल | 15803.00 | 15803.00 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 37.00 | 37.00 |
| 14 | महाराष्ट्र | 322.00 | 322.00 |
| 15 | मणिपुर | 2.00 | 2.00 |
| 16 | मेघालय | 0.00 | 0.00 |
| 17 | मिजोरम | 0.00 | 0.00 |
| 18 | नागालैंड | 0.000 | 0.000 |
| 19 | ओडिशा | 35.00 | 35.00 |
| 20 | पंजाब | 1742.50 | 1742.50 |
| 21 | राजस्थान | 8.00 | 8.00 |
| 22 | सिक्किम | 201.00 | 201.00 |
| 23 | तमिलनाडु | 11662.00 | 11662.00 |
| 24 | तेलंगाना | 665.00 | 665.00 |
| 25 | त्रिपुरा | 607.40 | 607.40 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 8223.00 | 8223.00 |
| 27 | उत्तराखंड | 35.00 | 35.00 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 2.00 | 2.00 |
| | उप कुल राज्य (1 से 28) | 48764.20 | 48764.20 |
| II. | संघ राज्य क्षेत्र | | |
| 29 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.00 |
| 30 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 0.00 | 0.00 |
| 32 | लद्दाख | 0.00 | 0.00 |
| 33 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 |
| 34 | जम्मू और कश्मीर | 242.00 | 242.00 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 |
| 36 | पुदुचेरी | 3503.00 | 3503.00 |
| | उप कुल संघ राज्य क्षेत्र (29 से 36) | 3745.00 | 3745.00 |
| | **कुल ( I + II)** | **52509.20** | **52509.20** |

"महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)" के संबंध में श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा द्वारा स्वीकृत संसदीय अतारांकित प्रश्न संख्या 2029 के **भाग (क) से संबंधित अनुबंध-II**

**एमएसवाई: संचयी राज्य-वार मंजूरी, निवल संवितरण और निधियों का उपयोग**

दिनांक 31.01.2025 तक

(रु. लाख में)

| क्र. सं. | पीएसबी | निवल संवितरण | निधियों का उपयोग | |
|---|---|---|---|---|
| | | (दिनांक 31.01.25 तक - 90 दिनों की अधिस्थगन अवधि के बाद) | राशि (रु. लाख में) | प्रतिशत |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | आंध्र प्रदेश | 2204.26 | 2204.26 | 100.00 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | असम | 198.00 | 196.24 | 99.11 |
| 5 | बिहार | 480.64 | 480.64 | 100.00 |
| 6 | चंडीगढ़ | 38.35 | 25.90 | 67.54 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 100.74 | 100.54 | 99.80 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | गुजरात | 5934.13 | 5346.07 | 90.09 |
| 12 | हरियाणा | 652.30 | 651.78 | 99.92 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 295.79 | 191.98 | 64.90 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 76.07 | 55.27 | 72.66 |
| 15 | झारखंड | 618.15 | 618.15 | 100.00 |
| 16 | कर्नाटक | 2688.48 | 2688.48 | 100.00 |
| 17 | केरल | 5481.12 | 5244.86 | 95.69 |
| 18 | लद्दाख | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 786.84 | 786.84 | 100.00 |
| 21 | महाराष्ट्र | 6649.64 | 5610.45 | 84.37 |
| 22 | मणिपुर | 409.00 | 309.00 | 75.55 |
| 23 | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | नागालैंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ओडिशा | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | पुदुचेरी | 113.90 | 105.10 | 92.27 |
| 28 | पंजाब | 972.83 | 1330.07 | 136.72 |
| 29 | राजस्थान | 1103.77 | 988.53 | 89.56 |
| 30 | सिक्किम | 48.90 | 48.90 | 100.00 |
| 31 | तमिलनाडु | 3429.65 | 3427.40 | 99.93 |
| 32 | तेलंगाना | 337.84 | 337.84 | 100.00 |
| 33 | त्रिपुरा | 357.45 | 357.45 | 100.00 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 1182.22 | 1182.22 | 100.00 |
| 35 | उत्तराखंड | 54.22 | 54.22 | 100.00 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 38644.72 | 37169.62 | 96.18 |

| | कुल : | 72859.01 | 69511.81 | 95.41 |
|---|---|---|---|---|

"महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)" के संबंध में श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा द्वारा स्वीकृत संसदीय अतारांकित प्रश्न संख्या 2029 के **भाग (ख और ग) से संबंधित अनुबंध-III**

**एमएसवाई: वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक संवितरण राशि और महिला लाभार्थियों की संख्या**

**(रु. लाख में)**

| क्र.सं. | राज्य | महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | |
| | | राशि | लाभार्थी | राशि | लाभार्थी | राशि | लाभार्थी | राशि | लाभार्थी | राशि | लाभार्थी |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | असम | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | बिहार | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0 | 4.50 | 20 | 0.00 | 0 | 4.05 | 18 | 0.00 | 0 |
| 7 | छतीसगढ़ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | दिल्ली | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | गोवा | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.85 | 1 | 0.00 | 0 |
| 11 | गुजरात | 540.00 | 1000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | हरियाणा | 0.00 | 0 | 62.10 | 138 | 120.00 | 200 | 180.00 | 300 | 136.00 | 170 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 1080.00 | 2000 | 46.60 | 104 | 0.00 | 0 | 42.50 | 100 | 16.00 | 40 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 250.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | झारखंड | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | कर्नाटक | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | केरल | 261.16 | 656 | 482.80 | 1073 | 546.24 | 1118 | 979.50 | 2111 | 1400.68 | 2850 |
| 18 | लद्दाख | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | महाराष्ट्र | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 600.00 | 1500 | 131.25 | 125 |
| 22 | मणिपुर | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | मेघालय | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | मिजोरम | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | नागालैंड | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | ओडिशा | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | पुदुचेरी | 0.00 | 0 | 60.00 | 150 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | पंजाब | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | राजस्थान | 240.00 | 600 | 320.00 | 800 | 0.00 | 0 | 240.00 | 600 | 0.00 | 0 |
| 30 | सिक्किम | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | तमिलनाडु | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1792.80 | 1992 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | तेलंगाना | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 33 | त्रिपुरा | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 206.10 | 458 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | उत्तराखंड | 31.20 | 104 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 2500.00 | 25000 | 5250.00 | 52500 | 3300.00 | 31000 | 3000.00 | 30000 | 2000.00 | 20000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | कुल : | 4652.36 | 29360 | 6226.00 | 54785 | 6215.14 | 34968 | 5046.90 | 34630 | 3683.93 | 23185 |

*****